प्र.क. R PBR/2018

प्रस्तुती दिनांक / /2018

<u>न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म.प्र.</u>

<u>ग्वालियर के समक्ष</u>

निगरानी-4205/2018/धार/भू.रा.

प्रकाश किरार पिता श्री मन्नालाल किरार

निवासी – ग्राम चालनी तह. सरदारपुर जिला धार

हा.मु. सदर बाजार, अमझेरा तह. सरदारपुर जिला धार......... प्रार्थी/आवेदक

<u>विरूद्ध</u>

श्री .... द्वारा आज दि. 07.07.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10.7.18 नियत।

रीडर बोर्ड ...7.18

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. **श्रीमती सुनन्दा पति स्व. संतोष किरार**

   निवासी–ग्राम चालनी तह. सरदारपुर जिला धार

   हा.मु. 144, बसंत बिहार कॉलोनी, धार म.प्र.

2. **दरूण पिता स्व. श्री संतोष किरार,**

   निवासी – ग्राम चालनी तह. सरदारपुर तह. व जिला धार

3. **नेहा पिता स्व. श्री संतोष किरार,**

   निवासी – ग्राम चालनी तह. सरदारपुर तह. व जिला धार

.... प्रतिप्रार्थी/अनावेदकगण

07/07/18

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959</u>

मान्यवर महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील सरदारपुर जिला धार रा.प्र.क. 09/अ–70/2016–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.06.2018 से व्यथित व असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4205/2018/धार/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-7-2018	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का बिना अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं तहसील न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 27-6-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण का निराकरण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि नायब तहसीलदार उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में आवेदक की ओर से प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र के जवाब को अभिलेख पर लिया जाकर आवेदक को अनावेदकगण के साक्षियों के प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये जाने के उपरांत प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । अध्यक्ष	